2009:डीएचसीः3582

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 28.07.2009
निर्णय घोषित: 01.09.2009

<u>आप. अ. सं. 189/2009</u>

मोहन लाल उर्फ टोनी और अन्य ....अपीलार्थी

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) ....प्रत्यर्थी

<u>आप. अ. सं. 196/2009</u>

दया शंकर उर्फ राजू उर्फ छोटे ....अपीलार्थी

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) ....प्रत्यर्थी

<u>आप. अ. सं. 204/2009</u>

राकेश उर्फ पहलवान .....अपीलार्थी

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) .....प्रत्यर्थी

<u>इस मामले में पेश हुए अधिवक्ता :</u>

अपीलार्थीगण के लिए : श्री बी. एस. चौधरी, सुश्री चित्रा गोस्वामी और श्री प्रदीप शर्मा, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थी के लिए : श्री अमित शर्मा, अति. लोक अभियोजक

कोरम :-

माननीय न्यायमूर्ति राजीव शकधर

1. स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं?

2. रिपोर्टर्स को संदर्भित किया जाना चाहिए या नहीं? हाँ

3. डाइजेस्ट में निर्णय को प्रकाशित किया जाना चाहिए या नहीं? हाँ

<u>न्या. राजीव शकधर</u>

1. ये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/पश्चिमी/दिल्ली (संक्षेप में 'एडीजे') द्वारा दिनांक 20.02.2009 को पारित सामान्य निर्णय और दंडादेश के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद संक्षेप में 'दं.प्र.सं.' के रूप में संदर्भित) की धारा 374 के तहत दायर की गई अपीलें हैं।

2. अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है : दिनांक 10 और 11 अगस्त 2000 की रात को, सहा.उप.नि. जोरा सिंह (अभि.सा.9) को पुलिस थाना राजौरी गार्डन, दिल्ली में लगभग रात 2.10 बजे दीन दयाल उपाध्याय (संक्षेप में डीडीयू) अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल कमल से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहन लाल की पत्नी जसविंदर कौर उर्फ गोगी को घायल हालत में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी कर्तव्य निर्वाह करते हुए डीडी प्रविष्टि 23क (प्र. अभि.सा.9/क) के रूप में दर्ज की गई थी। सहा.उप.नि. जोरा सिंह (अभि.सा.9)

ने आगे की पूछताछ हेतु उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) को यह जानकारी दी।

2.1 उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) ने सहा.उप.नि. प्रेम सिंह (अभि.सा.3) के साथ डीडीयू अस्पताल का दौरा किया। आगे की जांच से पता चला कि घायल जसविंदर कौर (अभि.सा.8) थी। जसविंदर कौर (अभि.सा.8) अपने दोस्त बब्बल के साथ डीडीयू अस्पताल में भर्ती हुई थीं। उसके बाद बब्बल की जलने के कारण पहुंची क्षति से मृत्यु हो गई। इस संबंध में एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था। उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) ने बब्बल (प्र. अभि.सा.19/क) का बयान दर्ज किया। चूंकि बब्बल की, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसका परीक्षण नहीं किया जा सका।

2.2 सुबह लगभग 3.35 बजे, कांस्टेबल मुकेश कुमार (अभि.सा.4) पुलिस थाना राजौरी गार्डन में एक रुक्का लाया जिसे उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) द्वारा भेजा गया था, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 307/34 के तहत प्राथमिकी सं. 818/2000 (प्र. अभि.सा.9/ख) दर्ज की गई थी।

2.3 दिनांक 25.08.2000 और 04.09.2000 के बीच, उक्त मामले में सभी तीन अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें शिनाख्त

कार्यवाही (संक्षेप में "टी.आई.पी.") का अवसर दिया गया, जिसे अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने अस्वीकार कर दिया। यह तथ्य विद्वान दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 09.09.2000 के आदेश के माध्यम से दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद एक आरोप-पत्र दायर किया गया और तीनों अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को विचारण के लिए भेज दिया गया। दिनांक 05.10.2001 के एक आदेश द्वारा तीनों अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण पर भा.दं.सं. की धारा 307/34 के तहत आरोप लगाया गया था।

2.4 तीनों अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने "निर्दोष" होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 19 गवाहों का उल्लेख किया। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का उल्लेख नहीं किया। हालांकि, दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान दर्ज किया गया था।

2.5 अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक उसके प्रमुख साक्षी, अर्थात, जसविंदर कौर उर्फ गोगी (अभि.सा.8) की गवाही के आसपास केंद्रित है। जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की गवाही से पता चला कि वह एक विधवा थी, जिसके पति की मृत्यु 1997 में हो गई थी। घटना की तारीख से लगभग 4 से 5 साल पहले, वह अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल उर्फ टोनी से परिचित हुई थी। जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल की पत्नी लक्ष्मी की हत्या कर दी गई थी। जसविंदर कौर (अभि.सा.8)

अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल के साथ लिव-इन संबंध बनाए हुए थी। अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल के लक्ष्मी के साथ पिछले विवाह से बच्चे थे।

2.6 दिनांक 10.08.2000 पर, अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल 58/59, टी.सी. कैंप, रघुबीर नगर, दिल्ली (संक्षेप में 'टी.सी. कैंप') गया, जहां लक्ष्मी के साथ उसके विवाह से हुए बच्चे रहते थे। जसविंदर कौर (अभि.सा.8) भी शाम के समय टी.सी. कैंप पहुंचीं। टी.सी. कैंप पहुंचने पर, उसने पाया कि अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल के अलावा अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण, अर्थात, दया शंकर उर्फ राजू और राकेश उर्फ पहलवान भी वहां उपस्थित थे। टी.सी. कैंप पर, जसविंदर कौर (अभि.सा.8) ने अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ बातचीत शुरू की, जो अचानक ही लक्ष्मी की हत्या की ओर मुड़ गई। जसविंदर कौर (अभि.सा.8) तीनों अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ रात करीब 10 बजे एक मारुति कार में टी.सी. कैंप से निकली। कार में घूमते समय, जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के साथ-साथ सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने व्हिस्की पी, और खाना भी खाया। यात्रा के दौरान, एक बार फिर, जसविंदर कौर (अभि.सा.8) और अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के बीच लक्ष्मी की हत्या को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इस समय, जसविंदर कौर (अभि.सा.8) पर शारीरिक हमला किया गया, जो कार चला रहे अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल के साथ कार की अगली यात्री सीट पर बैठी थी, और अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण दया शंकर उर्फ राजू और राकेश उर्फ पहलवान पिछली सीट पर बैठे थे। कुछ समय

बाद चारों बब्बल यानी जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की दोस्त के घर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वह रात में अपनी आंटी के घर गई थी। इसके बाद चारों बब्बल की आंटी के घर चले गए। यही वह समय था जब मामला और भी बदतर हो गया। जब जसविंदर कौर (अभि.सा.8) ने बब्बल के घर में प्रवेश किया, जहां वह बब्बल से मिली, वह भयभीत और साथ ही भ्रमित भी थी। इसका कारण यह था कि, यात्रा के दौरान चारों के बीच लक्ष्मी की मौत पर झगड़ा जारी रहा और इस दौरान, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के खिलाफ आरोप लगाया कि वह लक्ष्मी की हत्या में शामिल थी। बब्बल की आंटी के घर में झगड़ा जारी रहा। इस झगड़े में राकेश उर्फ पहलवान ने जसविंदर कौर (अभि.सा.8) को रिवॉल्वर से मारा; एक गोली चल गई, जो जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के पैर के बाईं ओर लगी। इसके तुरंत बाद, अभियुक्त/दया शंकर, बब्बल और उसके पति रंजीत ने जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के घाव पर शराब डाली। इसके बाद जसविंदर कौर (अभि.सा.8) को मारुति कार में डाल दिया गया, जिसमें चारों बब्बल की आंटी के घर गए थे और उसे डीडीयू अस्पताल ले गए। डीडीयू अस्पताल पहुंचने पर, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने जसविंदर कौर (अभि.सा.8) को उसके हाल पर छोड़ दिया। जसविंदर कौर (अभि.सा.8) को डीडीयू अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यहीं पर जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का ऑपरेशन किया गया था।

3. विचारण में, अभियोजन पक्ष ने डीडीयू अस्पताल में शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. पी.एस. सारंगी (अभि.सा.1) से पूछताछ की। डॉ. सारंगी ने एमएलसी (प्र. अभि.सा.1/क) को साबित किया। डॉ. सारंगी ने गवाही दी कि चूंकि जिन चिकित्सकों ने जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की जांच की थी, अर्थात, डॉ. मनोज, डॉ. विवेक शर्मा एवं डॉ. एस. के. भगत, वे अब अस्पताल की सेवा में नहीं थे और उनके वर्तमान पते की जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने एमएलसी को साबित करने की पेशकश की थी क्योंकि वह उनकी लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान करने की स्थिति में था क्योंकि उसने अतीत में उन्हें अपनी आधिकारिक सेवा के दौरान कागजात लिखते और हस्ताक्षर करते देखा था। एमएलसी (प्र. अभि.सा.1/क) में जसविंदर कौर (अभि.सा.8) को पहुंची अन्य चोटों के अलावा, निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया गया था :

> *"(1) बाएं पैर के अभिमध्य पक्ष पर नीला विदीर्ण घाव (लगभग 1x1एम)*
>
> *बाएं पैर के पार्श्व पक्ष पर नीला विदीर्ण घाव (लगभग 4x3एम)*
>
> *दाएं पैर के अभिमध्य पक्ष पर नीला विदीर्ण घाव (लगभग 1x1एम)*
>
> *(2) दाएं पैर के पार्श्व पक्ष पर स्पष्ट कठोर पदार्थ (गोली?)।"*

3.1 डॉ. दीवान सेठ (अभि.सा.2), जो प्रासंगिक समय पर डीडीयू अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट थे, ने दिनांक 25.09.2000 के एक्स-रे सं. 5514-15 की जांच

की थी। उन्होंने आगे गवाही दी कि ऊपरी और बाईं बहिर्जंघिका (फिबुला) में अस्थिभंग के प्रमाण मिले थे।

3.2 सहा.उप.नि. प्रेम सिंह (अभि.सा.3) ने मुख्य रूप से इस तथ्य के संबंध में गवाही दी कि वह उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19), कांस्टेबल मुकेश कुमार (अभि.सा.4) के साथ डीडीयू अस्पताल गया था और उसके बाद घटनास्थल पर गया था।

3.3 कांस्टेबल मुकेश कुमार (अभि.सा.4) ने अपनी गवाही में मुख्य रूप से यह बयान दिया कि वह उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) और सहा.उप.नि. प्रेम सिंह (अभि.सा.3) के साथ डीडीयू अस्पताल गया और उसके बाद रुक्का पुलिस थाना ले गया, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, रुक्के की एक प्रति कांस्टेबल मुकेश कुमार (अभि.सा.4) द्वारा उस स्थान पर भेजी गई जहां घटना हुई थी, अर्थात, 304 टी.सी. कैंप, रघुबीर नगर, दिल्ली। उसने आगे कहा कि घटनास्थल पर उसकी मुलाकात उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) और सहा.उप.नि. प्रेम सिंह (अभि.सा.3) से हुई थी। मौके पर उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) ने बब्बल, जो उनके साथ आयी थी, की उपस्थिति में मौके का नक्शा तैयार किया। ***उसने यह भी गवाही दी कि जांच अधिकारी ने मौके से खून के नमूने और खून आलूदा मिट्टी उठा ली थी और उसे एन.के. की मोहर लगाकर सील कर दिया था।*** उसने आगे गवाही दी कि एक फर्द मकबूज़गी तैयार की गई थी जिसके बिंदु 'ए' पर उसके हस्ताक्षर थे।

अपनी गवाही में उसने यह बयान भी दिया कि वे घटनास्थल से डीडीयू अस्पताल वापस गए जहां उन्होंने जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का बयान दर्ज किया। उस समय जसविंदर कौर (अभि.सा.8) ने खून से सनी चुन्नी प्रस्तुत की जिसे उसने अपने घायल पैर पर बांधा था। खून से सनी सलवार और चुन्नी को जांच अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया और एन.के. की मोहर द्वारा सील कर दिया गया और तदनुसार, चुन्नी और सलवार के लिए क्रमशः फर्द मकबूज़गी अभि.सा.4/ख और अभि.सा.4/ग तैयार की गई थी। उसने उक्त फर्द मकबूज़गी पर अपने हस्ताक्षर साबित किए। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अपनी प्रतिपरीक्षा में, अभि.सा.4 ने यह बयान दिया कि जब वे डीडीयू अस्पताल वापस गए, तो वे जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का बयान दर्ज करने में असमर्थ रहे क्योंकि वह बेहोश थी।

3.4 बिट्टो (अभि.सा.5), जो अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल का भतीजा/भांजा था, ने बयान दिया कि मारुति कार सं. डीएल4सीई 5853, जिसका उपयोग अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण और जसविंदर कौर (अभि.सा.8) को बब्बल की आंटी के घर और उसके बाद डीडीयू अस्पताल ले जाने के लिए किया गया था, अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल द्वारा खरीदी गई थी, और दस्तावेजों पर इसका मालिक वह था, जबकि वास्तविक मालिक अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल था।

3.5 डीडीयू अस्पताल में ड्यूटी कांस्टेबल के रूप में तैनात कांस्टेबल कमल सिंह (अभि.सा.6) ने सूचना दी कि 10 और 11 अगस्त, 2000 के बीच की रात को अस्पताल के सी.एम.ओ. ने उन्हें सीलबंद पुलंदा (पैकेट) सौंपा, जिस पर सी.एम.ओ. की मोहर थी, जिसमें एक गोली थी। उन्होंने इसे जांच अधिकारी, उप.नि. नरेश कुमार को सौंपा, जिसने इसे जब्त कर लिया और एक फर्ज मकबूज़गी (प्र. अभि.सा.6/क) तैयार की जिसके बिंदु 'ए' पर उसके हस्ताक्षर थे।

3.6 कांस्टेबल कैलाश (अभि.सा.7) ने अभियुक्तगण में से एक राकेश उर्फ पहलवान की गिरफ्तारी के संबंध में गवाही दी।

3.7 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सहा.उप.नि. जोरा सिंह (अभि.सा.9) वह पुलिस अधिकारी था जिसे वर्तमान मामले में, पहली बार, डीडीयू अस्पताल से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी।

3.8 कांस्टेबल अनिल कुमार (अभि.सा.10) ने दूसरे अपीलार्थी/अभियुक्त दया शंकर उर्फ राजू की गिरफ्तारी के संबंध में गवाही दी। उसने यह भी बयान दिया कि अपीलार्थी/अभियुक्त दया शंकर उर्फ राजू पुलिस दल को मौके पर ले गया था जहाँ घटना हुई थी और उसने खुलासा किया कि अपीलार्थी/अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान वही है जिसने जसविंदर कौर (अभि.सा.8) पर गोली चलाई थी।

3.9 कांस्टेबल बिजेंदर सिंह (अभि.सा.11) ने गवाही दी कि दिनांक 23.10.2000 को उसे आरसी सं. 245/01 के तहत एफ.एस.एल., मालवीय नगर

में पांच सीलबंद नमूने ले जाने का काम सौंपा गया था और उसने यथावत मोहर के साथ एफ.एस.एल. में नमूने जमा कर दिए थे।

3.10 हेड कांस्टेबल रोहताश, अभि.सा.(12) ने इस तथ्य के संबंध में गवाही दी कि उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) ने दिनांक 11.08.2000 को मालखाने में उसके पास एक सीलबंद पैकेट जमा किया था जिसमें खून से सनी हुई चुन्नी और सलवार थी। उसने आगे गवाही दी कि दिनांक 25.08.2000 को, एक मोटर कार वाहन सं. डीएल4सीई 5853 को भी कब्जे में लिया गया था। इसी प्रकार, उसने गवाही दी कि दिनांक 07.10.2000 को, उप.नि. दिनेश कुमार ने जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के खून का एक नमूना जमा किया था, जिसे डीडीयू अस्पताल के सी.एम.ओ. की मोहर से विधिवत सील कर दिया गया था। उसने प्र. अभि.सा.12/क रजिस्टर में हस्ताक्षर साबित किए। उसने आगे गवाही दी कि दिनांक 23.10.2000 को उसके द्वारा आर.सी. सं. 245/21 के तहत पांच सीलबंद पार्सल कांस्टेबल बिजेंद्र सिंह (अभि.सा.11) को एफ.एस.एल., मालवीय नगर में जमा करने हेतु सौंपे गए थे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

3.11 उप.नि. नरेंद्र कुमार (अभि.सा.13) ने पुलिस थाना वेलकम में प्राथमिकी सं. 234/2000 में अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल की गिरफ्तारी के संबंध में गवाही दी। उसने यह भी गवाही दी कि अपीलार्थी/अभियुक्त मोहल लाल ने एक प्रकटीकरण बयान दिया था जिसे प्र. क के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसके बिंदु 'ए' पर उसने हस्ताक्षर साबित किए हैं।

3.12 निरीक्षक रमेश यादव (अभि.सा.14) ने इस तथ्य के संबंध में गवाही दी कि उसने जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की दोस्त मृतका बब्बल से संबंधित प्राथमिकी सं. 935/2000 की छायाप्रति और शव-परीक्षण आख्या की छायाप्रति प्रस्तुत की थी।

3.13 उप.नि. गुलशन नागपाल (अभि.सा.15) ने इस तथ्य के संबंध में गवाही दी कि दिनांक 27.08.2000 पर जब वह पुलिस थाना वेलकम में तैनात था, तो अभियुक्त मोहन लाल को प्राथमिकी सं. 234/2000 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिस मामले में उसने एक प्रकटीकरण बयान दिया था जिसे प्र. क के रूप में चिह्नित किया गया है और बिंदु 'बी' पर उसके हस्ताक्षर थे।

3.14 उप.नि. नरेंद्र कुमार (अभि.सा.13), उप.नि. गुलशन नागपाल (अभि.सा.15) और उप.नि. के.पी. शाह (अभि.सा.16) ने मामले में अभियुक्त मोहन लाल की गिरफ्तार के तरीके के संबंध में गवाही दी। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उप.नि. के.पी. शाह (अभि.सा.16), जो उत्तर-पश्चिम जिले में विशेष कर्मचारी के रूप में तैनात है, को मकान सं. 98, वेलकम में कुछ असामाजिक तत्वों के इकट्ठा होने के बारे में सूचना मिली थी। जब वे वहां पहुंचे तो उनका सामना कुछ लड़कों और महिलाओं से हुआ। उन पर गोली चलाई गई; और यहीं पर अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल को गिरफ्तार किया गया था।

3.15 सहा.उप.नि. सुशीला अभि.सा. 17 ने गवाही दी कि दिनांक 28.08.2000 को उसे उप.नि. के.पी. शाह (अभि.सा.16) से सुबह लगभग 11.00 बजे प्राथमिकी सं. 234/2000 में अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल की गिरफ्तारी के बारे में सूचना मिली। यह जानकारी उसके द्वारा डीडी सं. 10क (प्र. अभि.सा.16/क) के तहत लिख ली गई थी।

3.16 श्री संजीव अग्रवाल, विद्वान एआरसी, तीस हजारी, दिल्ली (अभि.सा.18) ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राकेश उर्फ पहलवान और दया शंकर उर्फ राजू के संबंध में दिनांक 09.09.2000 की शिनाख्त कार्यवाही की सत्यता के संबंध में गवाही दी।

3.17 उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19), जो मामले का जांच अधिकारी है, ने इस तथ्य कि उसे डीडीयू अस्पताल में घायल जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के इलाज की सूचना कैसे मिली थी; जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की दोस्त बब्बल के साथ उसकी पूछताछ और यह तथ्य कि उसने घटनाओं के संबंध में उसका बयान दर्ज किया था, जैसाकि वे घटित हुए, जिनके परिणामस्वरूप जसविंदर कौर (अभि.सा.8) घायल हुई, के संबंध में गवाही दी। उसने इस तथ्य के संबंध में भी गवाही दी कि उसने एक रुक्का बनाया था जिसे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कांस्टेबल मुकेश कुमार (अभि.सा.4) के द्वारा भेजा गया था। उसने विशेष रूप से साक्ष्य दिया कि उसने उस घटनास्थल का जहां घटना हुई थी, मौका नक्शा (प्र. 19/ग) तैयार किया। ***अपने बयान में उसने विशेष रूप से गवाही दी***

कि घटनास्थल पर, उसे खून मिला था और उसने रुई की मदद से खून उठाया था जिसे एक पैकेट में सील कर दिया गया था और तदनुसार एक फर्द मकबूज़गी (प्र. अभि.सा.4/क) तैयार की गई थी। उसने आगे कहा कि वह दिनांक 11.08.2000 को वापस डीडीयू अस्पताल गया जहां उसकी मुलाकात जसविंदर कौर (अभि.सा.8) से हुई, जिसने उसे खून से सनी चुन्नी और सलवार सौंपी, उसे भी जब्त कर लिया गया और उसके द्वारा फर्द मकबूज़गी (क्रमशः प्र. अभि.सा.4/ख और प्र. अभि.सा.4/ग) तैयार की गई थी। उसने यह भी गवाही दी कि वह कांस्टेबल कमल सिंह (अभि.सा.6) था जिसने उसे एक सीलबंद पैकेट सौंपा था जिसमें एक गोली थी; जिसे उसने जब्त कर लिया और एक फर्द मकबूज़गी (अभि.सा.6/क) तैयार की। उसने अपीलार्थी/अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान की दिनांक 28.08.2000 की गिरफ्तारी; साथ ही दिनांक 28.08.2000 को पुलिस थाना वेलकम, उत्तर-पश्चिम जिला पर प्राथमिकी सं. 234/2000 में अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल की गिरफ्तारी के विषय में प्राप्त सूचना के संबंध में भी साक्ष्य दिया। अपीलार्थी/अभियुक्त दया शंकर उर्फ राजू के संबंध में उसने गवाही दी कि उसे दिनांक 31.08.2000 को गिरफ्तार किया गया था। उसने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल को दिनांक 01.09.2000 को गिरफ्तार किया गया था। उसने इस तथ्य के संबंध में भी गवाही दी कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की दोस्त बब्बल की वर्ष 2000 में मृत्यु हो गई थी और राजौरी गार्डन पुलिस थाने में धारा 302 के

तहत प्राथमिकी सं. 935/2000 दर्ज की गई थी। **उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसे न तो खाली खोखा मिला और न ही अपराध का हथियार, जिससे कथित तौर पर गोली चलाई गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय जसविंदर कौर (अभि.सा.8) नशे की हालत में थी।** उसने आगे स्वेच्छा से कहा कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) को शराब पीने के लिए मजबूर किया गया था।

4. इस स्तर पर, एक बहुत ही परेशान करने वाले तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो यह है कि दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज तीनों अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के बयान समान हैं। वास्तव में, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के बयान के अवलोकन से पता चलेगा कि दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के बयान दर्ज करने में विवेक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है। यह मात्र एक उदाहरण से स्पष्ट है। प्रत्येक अभियुक्त से निम्नलिखित प्रश्न पूछा गया, जो प्रश्न 4 के रूप में क्रमबद्ध है। प्रश्न और उत्तर दोनों ही समान हैं। प्रश्न और उत्तर, जो नीचे उद्धृत हैं, के अवलोकन मात्र से पता चलेगा कि जो किसी भी मामले के विचारण का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, उस हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है :

बिना शपथ के धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त मोहन लाल उर्फ टोनी का बयान

प्र.4 अभियुक्त मोहन लाल तुम्हारे खिलाफ यह साक्ष्य है कि तुम्हारे बच्चे मकान सं. 58-59, टी. सी. कैंप, रघुबीर नगर में रह रहे थे और दिनांक 10.08.2000 को शाम के समय तुम अपने बच्चों से मिलने उक्त मकान पर गए थे। तुम्हें क्या कहना है?

उत्तर. यह सही है।

बिना शपथ के धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान का बयान

प्र.4 अभियुक्त मोहन लाल तुम्हारे खिलाफ यह साक्ष्य है कि तुम्हारे बच्चे मकान सं. 58-59, टी. सी. कैंप, रघुबीर नगर में रह रहे थे और दिनांक 10.08.2000 को शाम के समय तुम अपने बच्चों से मिलने उक्त मकान पर गए थे। तुम्हें क्या कहना है?

उत्तर. यह सही है।

बिना शपथ के धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त दया शंकर उर्फ राजू का बयान

प्र.4 अभियुक्त मोहन लाल तुम्हारे खिलाफ यह साक्ष्य है कि तुम्हारे बच्चे मकान सं. 58-59, टी. सी. कैंप, रघुबीर नगर में रह रहे थे और दिनांक 10.08.2000 को शाम के समय तुम अपने बच्चों से मिलने उक्त मकान पर गए थे। तुम्हें क्या कहना है?

उत्तर. यह सही है।

5. उपरोक्त के आधार पर, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और इसलिए भा.दं.सं. की धारा 307/34 के तहत अपराध सिद्ध नहीं हुए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) को मारने के

समान उद्देश्य हेतु कोई साक्ष्य नहीं था। इस संबंध में, उन्होंने जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के परिसाक्ष्य पर भरोसा किया ताकि यह दर्शाया जा सके कि उसकी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट रूप से पता चला है कि गोली एक झगड़े के कारण चलाई गई थी और जब जसविंदर कौर (अभि.सा.8) घायल हो गई थी तो घाव पर शराब डालकर उसकी मदद करने का प्रयास किया गया था और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के बयान के सूक्ष्म अवलोकन से पता चलेगा कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मोहन लाल और दया शंकर उर्फ राजू ने अपराध में भाग नहीं लिया था, जहां तक जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का परिसाक्ष्य है उससे यह पता चलेगा कि अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल और दया शंकर उर्फ राजू दोनों ने राकेश उर्फ पहलवान द्वारा कथित तौर पर गोली चलाने के बाद कमरे में प्रवेश किया था। उन्होंने बताया कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) ने आगे साक्ष्य दिया कि अभियुक्त मोहन लाल और उसके बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय यह विवेचना करने में विफल रहा है कि भा.दं.सं. की धारा 307/34 के तहत किसी व्यक्ति को अपराध के संबंध में दोषी ठहराने के लिए न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक था कि सबसे पहले, यहां हत्या करने का कोई उद्देश्य या ज्ञान या आवश्यक आपराधिक मनःस्थिति थी और इस उद्देश्य के बाद उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत

किया कि दिनांक 10.08.2000 की घटनाएं, जो जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के परिसाक्ष्य के आधार पर सामने आई हैं, से पता चलेगा कि वह टी.सी. कैंप में मृतका लक्ष्मी के घर, जहाँ अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल और अन्य दो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राकेश उर्फ पहलवान और दया शंकर उर्फ राजू इकट्ठे हुए थे, से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की दोस्त बब्बल के घर तक, और उसके बाद बब्बल की आंटी के घर तक स्वेच्छा से गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि कभी भी, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक समान उद्देश्य साझा किया था या जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की हत्या करने के लिए वे पहले ही एकमत हो गए थे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुति के समर्थन में ***रंगस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1137*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान में अपीलार्थी/अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान, जिस पर गोली चलाने का आरोप है, विचारण न्यायालय द्वारा उसे दिए गए सात वर्षों में से पहले ही लगभग साढ़े छह वर्ष की सजा काट चुका है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का परिसाक्ष्य विश्वास योग्य नहीं था। फॉरेंसिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते थे।

6. इसके विपरीत श्री अमित शर्मा, विद्वान अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के साक्षी, विशेष रूप से जसविंदर कौर (अभि.सा. 8) के परिसाक्ष्य से एक साझे समान उद्देश्य का निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त साक्षी के परिसाक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल की पत्नी लक्ष्मी की हत्या में जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की संलिप्तता को लेकर जसविंदर कौर (अभि.सा.8) और अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के बीच झगड़ा हुआ था। वह झगड़ा जो मृतका लक्ष्मी के घर पर शुरू हुआ था, जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ कार में बब्बल के घर, और उसके बाद बब्बल की आंटी के घर जाने तक जारी रहा, जहां बब्बल एक रात रहने के लिए गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) ने अपने परिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह कार की अगली यात्री सीट पर बैठी थी, जिसे अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल चला रहा था, तो अन्य दो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण दया शंकर उर्फ राजू और राकेश उर्फ पहलवान ने उस पर शारीरिक हमला किया। मोहन लाल उर्फ टोनी का यह अजीब व्यवहार तब भी जारी रहा जब वे बब्बल की आंटी के घर पहुंचे जहां जसविंदर कौर (अभि.सा.8) अपीलार्थी/अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान की रिवॉल्वर से चली गोली से घायल हो गई थी। विद्वान अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया था कि अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल, जो कार चला रहा था, ने न केवल कार में

यात्रा करते समय, बल्कि बब्बल की आंटी के घर पर भी इस तरह के हमले की अनुमति दी थी। श्री अमित शर्मा, अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि यह अभिनिर्धारित करने के उद्देश्यों हेतु कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का एक समान उद्देश्य है, अपीलार्थी/अभियुक्त की सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं थी। अन्य शब्दों में उन्होंने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि जब अपीलार्थी/अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान द्वारा गोली चलाई गई थी, तो अन्य दो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मोहन लाल और दया शंकर उर्फ राजू कमरे में नहीं थे, यह अभियोजन पक्ष के मामले को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जैसा कि इस मामले में है, जसविंदर कौर (अभि.सा. 8) की हत्या के साझा उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं।

7. मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और श्री अमित शर्मा, अति.लो.अभि. को सुना है। मेरे विचार में, भा.दं.सा. की धारा 307/34 के तहत अपीलार्थीगण को अपराध का दोषी ठहराने के लिए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की मंशा को उजागर करना महत्वपूर्ण होगा। निस्संदेह, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का उद्देश्य अपराध करने से पहले एक साझा समान उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, साक्ष्य को स्पष्ट रूप से पीड़ित की हत्या की पूर्व सहमति स्थापित करनी चाहिए, और इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने में संबंधित तथ्य और परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, परिणामी चोट की गंभीरता, या यहां तक कि ऐसा मामला जहां कोई चोट नहीं है, हमेशा इस तथ्य का निर्धारण नहीं

करता है कि भा.दं.सा. की धारा 307 और 34 के तहत अपराध किया गया है या नहीं। भा.दं.सा. की धारा 307 मूल रूप से एक अपराध की धारा है, जिसके दायरे में हत्या करने का प्रयास शामिल है। इसलिए, हत्या करने के लिए कोई प्रासंगिक आपराधिक मनःस्थिति, जिसके बाद कोई कृत्य किया जाता है, मौजूद है या नहीं; अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा इसे आवश्यक रूप से साबित करना होगा। भा.दं.सा. की धारा 307, जैसा कि पढ़ने मात्र से स्पष्ट है, तीन भागों में है। जहां प्रयास किया जाता है, लेकिन इससे चोट नहीं लगती है, वहां दी जाने वाली सजा 10 वर्ष तक हो सकती है। हालांकि, जहां प्रयास के परिणामस्वरूप पीड़ित को "चोट" पहुंचती है या वह "घायल" हो जाता है, तो अपराधी को या तो आजीवन कारावास की सजा या पहले भाग में वर्णित सजा से दंडित किया जा सकता है। तीसरा भाग एक ऐसे अपराधी से संबंधित है जो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और जो धारा 307 के तहत वर्णित एक अपराध करता है, जिसके परिणामस्वरूप चोट पहुंचती है। ऐसी स्थिति में अपराधी को मौत की सजा भी हो सकती है। उपरोक्त विधिक मापदंडों के साथ यह देखने की आवश्यकता है कि क्या अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम हुआ है।

8. इस प्रकार जसविंदर कौर (अभि.सा.8) एक प्रमुख साक्षी है जिस पर अभियोजन पक्ष का मामला तैयार किया गया है। इसलिए, जसविंदर कौर

(अभि.सा.8) के परिसाक्ष्य की गहन समीक्षा महत्वपूर्ण है। जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के परिसाक्ष्य के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलेगा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन 10.08.2000 को, वह अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल उर्फ टोनी से उसकी पूर्व मृत पत्नी लक्ष्मी के घर टी.सी. कैंप में मिली थी जहां वह स्पष्ट तौर पर अपने बच्चों से मिलने गया था। जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के अनुसार, टी.सी. कैंप में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण दया शंकर उर्फ राजू के साथ-साथ राकेश उर्फ पहलवान भी मौजूद था। जसविंदर कौर (अभि.सा.8) ने साक्ष्य दिया कि टी.सी. कैंप में ही लक्ष्मी की मौत को लेकर उसके और अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के बीच झगड़ा हुआ था। अपनी गवाही में, उसने स्वीकार किया कि लक्ष्मी की हत्या में उसकी संलिप्तता के संबंध में अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उस पर आरोप थोपे गए थे। यह अजीब लगता है कि इस झगड़े के बावजूद जसविंदर कौर (अभि.सा.8) अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ अपनी दोस्त बब्बल के घर गई। उसकी स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, मृतका लक्ष्मी के घर से बब्बल के घर तक कार में यात्रा के दौरान, उस पर शारीरिक हमला किया गया था। साथ ही उसने यह भी साक्ष्य दिया कि हमले से पहले उसने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ कार में खाना खाया था, जिसमें बैठकर वे बब्बल के घर गए थे। उसकी स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने कार में शराब का भी सेवन किया। हालांकि वह शराब पीने से इनकार करती है, लेकिन उसकी

एमएलसी (प्र. अभि.सा.1/क) अन्यथा दर्शाती है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह इस तथ्य से अवगत थी कि अपीलार्थी/अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान के पास रिवॉल्वर थी, जबकि दूसरे अपीलार्थी/अभियुक्त दया शंकर उर्फ राजू के पास चाकू था। इसे और भी विचित्र बनाने वाली बात यह है कि बब्बल के घर पहुंचने के बाद उसने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण से बचने का कोई प्रयास नहीं किया। वास्तव में, जसविंदर कौर (अभि.सा.8) ने गवाही दी है कि वहां से वह अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ बब्बल की आंटी के घर गई क्योंकि बब्बल अपने घर में नहीं थी, और कथित तौर पर वह अपनी आंटी के घर पर रात बिता रही थी। कथित तौर पर घटना बब्बल की आंटी के घर में हुई। उसके परिसाक्ष्य की सूक्ष्म समीक्षा से पता चलेगा कि जब वह कहती है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण में से एक राकेश उर्फ पहलवान ने उसे रिवॉल्वर से मारा, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि जब गोली चलाई गई तो क्या उसने वास्तव में मारने के लिए उस पर रिवॉल्वर तानी थी। उसने यह भी साक्ष्य दिया कि दया शंकर उर्फ राजू, बब्बल और उसके पति ने उसके घाव पर शराब डाली और उसके बाद अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने उसे कार में डाला और डीडीयू अस्पताल ले गए। उसके परिसाक्ष्य की सूक्ष्म समीक्षा करने से यह भी पता चलेगा कि अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल का बचाव करने का प्रयास किया गया है, जो उसकी गवाही से जाहिर है, जहां उसने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि अभियुक्त मोहन लाल ने उसकी 'वास्तव में पिटाई' नहीं की थी और, उसने

और उसके बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की थी। अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल का यह व्यवहार जसविंदर कौर (अभि.सा.8) को अपीलार्थी/अभियुक्त दया शंकर उर्फ राजू और राकेश उर्फ पहलवान द्वारा किए गए शारीरिक हमले, जब वह अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ कार में यात्रा कर रही थी, से बचाने में उसकी निष्क्रियता के साथ असंगत है। यह पहलू इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाता है कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान द्वारा गोली चलाने के बाद अभियुक्त मोहन लाल और दया शंकर उर्फ राजू ने कमरे में प्रवेश किया। उसके परिसाक्ष्य के आधार पर, मैं स्वयं को इस निष्कर्ष हेतु प्रेरित करने में असमर्थ हूं कि घटना से पहले, जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की हत्या करने के लिए वे एकमत थे और उनका एक साझा समान उद्देश्य था। यदि ऐसा था, अर्थात, यदि कोई समान उद्देश्य था, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जसविंदर कौर (अभि.सा. 8) की उनके साथ कार में मृतका लक्ष्मी के घर से बब्बल की आंटी के घर, जहां कथित तौर पर घटना को अंजाम दिया गया, तक यात्रा के दौरान किसी भी समय अपराध को अंजाम दे सकते थे। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं रखा गया है जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच सकूं कि कथित अपराध करने से पहले वे एकमत थे।

8.1 वास्तव में, जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का परिसाक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। जहां तक उस व्यक्ति, जो उसे चोट पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था,

के संबंध में उसका परिसाक्ष्य है, तो वह एक विश्वास न करने योग्य साक्षी प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि जबकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) घायल हुई थी, तो उसने डीडीयू अस्पताल में भर्ती होने पर पहली बार में ही हमलावरों की पहचान का खुलासा नहीं किया था।

8.2 इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक घायल हुए साक्षी के परिसाक्ष्य को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसा साक्षी आम तौर पर वास्तविक अपराधी का बचाव नहीं करेगा और उसके स्थान पर किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाएगा। लेकिन यह सिद्धांत कि किसी व्यक्ति को मात्र एक घायल साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, यह उस साक्षी पर लागू होगा जिसका परिसाक्ष्य विश्वास करने योग्य और पूरी तरह से भरोसेमंद है। यदि यह दर्शाया जाता है कि ऐसे साक्षी के साक्ष्य में वस्तुगत अदृढ़ता और असत्यता भरी हुई है, तो ठोस साक्ष्य द्वारा स्वतंत्र संपुष्टि के बिना किसी घायल साक्षी के साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा। ***हरि हर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1971 आप. एल.जे. 1578 (ऑल.) पृष्ठ 1580 पर पैराग्राफ 5; विजय शंकर मिस्रा बनाम राज्य 1984 ऑल. एल.जे. 1316 पृष्ठ 1323 पर पैराग्राफ 22; एल.एल. काले बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2000) एस.सी.सी. 295 पृष्ठ 298-300 पर पैराग्राफ 8 और 9; और देसराज बनाम राज्य 1969 ए.एल.जे. 784*** मामलों की

टिप्पणियां देखें। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि घायल जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का परिसाक्ष्य भरोसेमंद नहीं है।

8.3 उपरोक्त की निम्नलिखित के साथ तुलना करें : अभियोजन पक्ष अपराध के हथियार या खाली खोखे को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहा है। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के घायल पैर से जो गोली निकाली गई थी, उस पर कोई खून का धब्बा नहीं था। दरअसल, अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं कर पाया है कि घटनास्थल बब्बल की आंटी का घर था या नहीं। इसका कारण यह है : उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) ने गवाही दी कि उसने घटनास्थल से खून के धब्बे रुई के फाहे पर एकत्र किए थे। एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मत व्यक्त किया गया है कि रुई के फाहे पर कोई खून नहीं पाया जा सका। अभियोजन पक्ष के लिए जो बात मामले को बदतर बनाती है वह यह है कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के खून के नमूने, जो कि प्र. 5 था, का सलवार पर पाए गए खून से मिलान नहीं किया जा सका क्योंकि नमूना 'सड़' गया था। जहां तक चुन्नी पर लगे खून का सवाल है, भले ही एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि खून मानव मूल का था, लेकिन इसका जसविंदर कौर (अभि.सा. 8) के खून के नमूने से मिलान नहीं किया जा सका। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एमएलसी में यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि जिस समय जसविंदर कौर (अभि.सा. 8) को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस समय उससे शराब की गंध आ रही थी। यह भी उल्लेख

करने योग्य है कि एमएलसी में प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुआ कि चोट गोली लगने से पहुंची थी। अभियोजन पक्ष ने कांस्टेबल कमल सिंह (अभि.सा. 6) के परिसाक्ष्य पर भरोसा करते हुए इसे स्थापित करने का प्रयास किया, जिसने गवाही दी थी कि एक सीलबंद पुलंदा (पैकेट) उसे सौंपा गया था जिसमें गोली थी, जिसे स्पष्ट रूप से जसविंदर कौर (अभि.सा. 8) के डीडीयू अस्पताल में ऑपरेशन के बाद निकाला गया था। उप.नि. नरेश कुमार (अभि.सा.19) ने गवाही दी कि सी.एम.ओ., डीडीयू अस्पताल की मोहर के साथ उक्त सीलबंद पुलंदा (पैकेट) कांस्टेबल कमल सिंह (अभि.सा.6) द्वारा सौंपा गया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं कर सका कि क्या गोली, जिसे जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया था, वही गोली थी जो जसविंदर कौर (अभि.सा.8) के बाएं पैर में लगी थी। इसके अतिरिक्त, क्या उक्त गोली वही थी जो अपीलार्थी/अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान द्वारा चलाई गई थी, क्योंकि अभियोजन पक्ष को अपराध का हथियार नहीं मिला था। कांस्टेबल मुकेश कुमार (अभि.सा. 4) के परिसाक्ष्य में भी विरोधाभास है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का बयान जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल से अस्पताल लौटने के तुरंत बाद दर्ज किया गया था। वह प्रतिपरीक्षा में स्वयं के कथन से उलट गया जब उसने गवाही दी कि घटना स्थल से डीडीयू अस्पताल पहुंचने पर, वे जसविंदर कौर (अभि.सा. 8) का बयान दर्ज करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि वह उस समय भी बेहोश थी।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करते हैं, बहुत सारे अनसुलझे सिरे हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जसविंदर कौर (अभि.सा. 8) का परिसाक्ष्य स्पष्ट रूप से एक ओर अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल उर्फ टोनी को बचाने के लिए और दूसरी ओर अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण दया शंकर उर्फ राजू और राकेश उर्फ पहलवान को फंसाने के लिए रचा गया प्रतीत होता है।

9. विचारण न्यायालय की संक्षिप्त में यह टिप्पणी कि एक साझा समान उद्देश्य था, अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल ने, जब जसविंदर कौर (अभि.सा. 8) को पीटा गया था, उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं किया और वह हत्या के प्रयास का मूक साक्षी था यह, मेरे अनुसार, तथ्यों के साथ-साथ विधि की भी गलत विवेचना है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, भा.दं.सं. की धारा 34 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करना अभियोजन पक्ष के लिए अनिवार्य था कि इस अपराध की घटना को अंजाम देने से पहले अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण आपस में एकमत हुए थे। वर्तमान मामले में, पहले से साझा समान उद्देश्य को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है या यह दर्शाने के लिए भी साक्ष्य नहीं है कि गोली वास्तव में अपीलार्थी/अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान द्वारा चलाई गई थी, या अन्य अभियुक्त उस स्थान पर मौजूद थे, जहां कथित रूप से घटना घटी थी। अभियोजन पक्ष ने किसी भी सार्वजनिक साक्षी का परीक्षण नहीं किया है।

जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का परिसाक्ष्य जैसा कि इस वर्तमान मामले में देखा गया है, बिल्कुल भी भरोसा करने योग्य नहीं है। ऐसा लगता है कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का परिसाक्ष्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण, यदि सभी नहीं तो कम से कम अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण दया शंकर उर्फ राजू और राकेश उर्फ पहलवान को फंसाने के लिए रचा गया है। यदि यह भी मान लिया जाए कि अपीलार्थी/अभियुक्त राकेश उर्फ पहलवान ने गोली चलाई थी, घायल जसविंदर कौर (अभि.सा.8) का स्वयं का परिसाक्ष्य इस तथ्य को झुठलाता है कि गोली जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की हत्या के प्रयास हेतु चलाई गई थी। उसके स्वयं के परिसाक्ष्य से पता चलता है कि झगड़े में रिवॉल्वर से गोली चली और गोली उसे लगी। उसका स्वयं का परिसाक्ष्य इस तथ्य का संकेत देता है कि जसविंदर कौर (अभि.सा.8) की हत्या का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

10. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है। संदेह का लाभ अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के पक्ष में जाना चाहिए। वास्तव में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मेरे विचार से विचारण न्यायालय ने उचित कर्मठता और विवेक के प्रयोग के बिना दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान दर्ज करके उनके बचाव को जोखिम में डाला है। परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय के दिनांक 20.02.2009 के आक्षेपित निर्णय को दरकिनार किया जाता है; और

अपीलों को अनुमति दी जाती है। अपीलार्थीगण को बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में अपीलार्थीगण की आवश्यकता नहीं है तो उनको मुक्त किया जाए।

न्या. राजीव शकधर

1 सितंबर, 2009

केके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*